

झारखण्ड सरकार
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

संख्या- /एम0, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या-67/1957) की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2007, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2010 एवं झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 में निम्नांकित संशोधन करते हैं।

1. (क) यह नियमावली " झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2016 " कहलायेगी।

(ख) यह संशोधन नियमावली झारखण्ड के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. नियम-9(1)(क) निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"ग्रेनाईट एवं मार्बल को छोड़कर अनुसूची-2 में अंकित खनिजों का खनन पट्टा उपायुक्त द्वारा नियम-30A में निरूपित निविदा दस्तावेज के आलोक में लोक नीलामी से बन्दोबस्ती द्वारा 05 (पाँच) वर्षों के लिए स्वीकृत किया जाएगा।"

3. नियम-9(1)(ख) को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"अनुसूची 2 (क) में अंकित खनिज तथा अनुसूची-2 में अंकित ग्रेनाईट एवं मार्बल खनिज के पट्टे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने के उपरान्त ही तैयार ब्लॉक पर खनन पट्टा (ML) या खनन पट्टा-सह-पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति (ML-cm-PL) के रूप में लोक नीलामी से अधिकतम 30 वर्षों के लिए स्वीकृत किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया अलग से भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा प्रभावी Mineral Evidence Rule, 2015 के समरूप की जाएगी। इन सभी खनिज के खनन योजना पर यथा प्रभावी Granite Conservation Development Rules, 1990, Mineral Conservation & Development Rules, 1988 एवं Marble Development & Conservation Rules, 2002 के प्रावधान भी लागू रहेंगे।

4. नियम-9 (1)(ग) निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(ग) इस आशय की अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पूर्व में खनन पट्टे हेतु प्राप्त आवेदन पत्र स्वतः अयोग्य घोषित हो जाएंगे।



5. नियम-9 (1)(ग) के उपरांत नियम-9(1)(घ) एवं नियम-9(1)(ङ) निम्न प्रकार अतःस्थापित किए जाते हैं :-

9(1)(घ) वैसे आवेदन पत्र जिसमें इस अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से पूर्व झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 के नियम-11 अन्तर्गत Letter of Intent (आशय का पत्र) निर्गत हो चुका है, उसे इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर पर्यावरण स्वीकृति एवं खनन योजना अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा, अन्यथा उनका आवेदन स्वतः अस्वीकृति हो जाएगा।

9(1)(ङ) वैसे खनन पट्टे, जो नवीकरण अन्तर्गत थे एवं पर्यावरणीय स्वीकृति/खनन योजना प्राप्त नहीं रहने के कारण कालतिरोहित हो गये हो, उनके पट्टे की अवधि पट्टा स्वीकृति/नवीकरण की तिथि से 30.03.2020 तक के लिए अवधि विस्तारित की जा सकती है, वशर्त पट्टेधारी द्वारा पट्टा विलेख के शर्तों एवं बंधेजों का उल्लंघन न किया गया हो एवं अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दाखिल कर दिया गया हो।

6. नियम-9(9) के उपरान्त नियम-9(10) एवं नियम-9(11) निम्न प्रकार अतःस्थापित किए जाते हैं :-

(10) अनुसूची-2(क) में उल्लेखित खनिजों के खनन पट्टों एवं उनकी पट्टा अवधि 31.03.2020 तक विस्तारित की जा सकती है, वशर्त की ऐसे पट्टाधारक द्वारा ससमय नवीकरण का आवेदन दाखिल किया गया है तथा उनके द्वारा पट्टा शर्तों एवं विलेखों का अनुपालन किया गया है।

(11) केन्द्रीय एवं राज्य लोक उपक्रम के खनन पट्टों के नवीकरण/स्वीकृति के मामलों में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

7. नियम-11(ग) के परन्तुक में "हस्तांतरण" के जगह "स्वीकृति" प्रतिस्थापित की जाती है।

8. नियम-12(1) में निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"राज्य में बालूघाटों की बन्दोबस्ती संबंधित ग्राम पंचायत के लिए नीलामी की प्रक्रिया के अनुसार उच्चतम डाकवक्ता के पक्ष में पाँच वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के लिए की जाएगी।"

9. नियम-14 के बाद नियम-14(1) निम्न प्रकार अंतःस्थापित की जाती है:-

"खनिज के पट्टा हेतु स्वीकृति/लोक नीलामी से बन्दोबस्त होने पर आवेदक को प्रारंभिक व्यय पाँच हजार रुपये 5000/- (पाँच हजार) रुपये जमा करना होगा।"

10. नियम-16 के बाद नियम-16(1) निम्न प्रकार अंतःस्थापित की जाती है:-